रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 125] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 1983/चैत्र 14, 1905
No. 125] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 1983/CHAITRA 14, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन कक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1983

सा.का.नि. 313(अ) .—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 7(2) (ख) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार कांडला पत्तन के न्यासी मंडल में नौवहन और परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए उप सचिव (नौवहन), नौवहन और परिवहन मंत्रालय के स्थान पर निदेशक (पत्तन यातायात) को नियुक्त करती है तथा

नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) में भारत सरकार अधिसूचना सं. सा.का नि. 266(अ) दिनांक 26 मार्च, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में क्रम सं 7 "उपसचिव (नौवहन)" के स्थान पर "निदेशक (पत्तन यातायात)" रहेंगे ।

[फाइल सं पी डब्ल्यू/पीटीबी-4/82]

पी वी. वेंकटकृष्णन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 1983

G.S.R. 313(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3, read with section 7(2)(b) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the Director (Ports Traffic), Ministry of Shipping and Transport, as a Trustee to represent the Ministry of Shipping and Transport, on the Board of Trustees of the Port of Kandla vice Deputy Secretary (Shipping), Ministry of Shipping and Transport and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 266(E), dated the 26th March, 1982, namely —

In the said notification, against Serial Number 7, for the entry "Deputy Secretary (Shipping)", the entry "Director (Ports Traffic)", shall be substituted

[F No PW/PTB-4/82]

P V VENKATAKRISHNAN, Jt Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983